

12.12.23 पत्रावली पेश हुई। ककील वादी या वादी  
स्वयं उपस्थित नहीं। बार-बार सावाज लगाने पर  
भी उपस्थित नहीं हुए। अतः वादी का यह वादपत्र  
अदम पैरवी-अदम हाजिरी में अंगी दफ्तर पर खारिज  
किया जा रहा है। पत्रावली बाद तरीक तकमील  
होकर दाखिल दफ्तर है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में  
सुनाया गया।

  
(अमिता बिश्नोई)  
RAS